जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कॉरपोरेट पहचान संख्या (CIN) – U40109RJ2000SGC016483
रजि. कार्यालय : न्यू पॉवर हाऊस, जोधपुर-342003
फोन नं. : 0291-2742367 : फैक्स नं. - 0291-2742367
ई.मेल – ddpjod@gmail.com वेब–साइट : www.jdvvnl.com

क्रमांक : जोविविनिलि./प्र.नि/जो./निदेशक (तकनीकी)/प. /का.आ. /प्रे. 17 दिनांक 23/4/18

आदेश

जैसा कि आपको विदित है 1 मई 2018 से 30 जून 2018 तक राज्य सरकार द्वारा समस्त राज्य में न्याय आप के द्वार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जिसमे अन्य विभागों के साथ–साथ जोधपुर डिस्कॉम को भी 8 चिन्हित कार्या के लिए अपनी भागीदारी निभाने हेतु निर्देशित किया गया हैं। उक्त कार्यक्रम में आमजन, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, उपभोक्ता आदि सभी बड़ी संख्या में उपस्थिति रहेगें। अतः इस अवसर का लाभ उठाने हेतु जोधुपर डिस्कॉम ने यह निर्णय लिया है कि उक्त कार्यकम में डिस्कॉम द्वारा किए जाने वाले निर्धारित कार्यों के अलावा आमजनों/विद्युत उपभोक्ताओ में विद्युत तंत्र से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उदेश्य से सुरक्षा संबंधी सावधनियों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करवाकर जागरुकता अभियान शुरू किया जाएगा।

जिसमें विद्युत सुरक्षा संबंधी बैनर, पेम्पलेट व फ्लेक्स छपाकर समस्त कार्यालय, स्कुलों, ग्राम पंचायतों व अन्य मुख्य स्थानों के अतिरिक्त "न्याय आपके द्वार" कैम्पों में खास तौर से लगवाये जायेगे। साथ ही मोबाइल पर सुरक्षा संबंधी स्लोगन व सावधानियां उपभोक्ताओं को प्रेषित की जाएगी। "न्याय आपके द्वार" मंच द्वारा जनता में इन मुद्दों पर चर्चा भी की जायेगी।

अतः विद्युत दुर्घटनाओं से सुरक्षा हेतु आमजनों के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

1 बिजली के तंत्र एवं ट्रांसफार्मर सब–स्टेशन/DP के नीचे शामियाने लगाकर सार्वजनिक कार्यक्रम जिसमें की शोक सभा या मांगलिक आयेजन एवं अन्य इस तरह के कार्यकम आयेजित ना करके साधानियां बरती जाए।
2 बिजली की लाईनों के नीचे या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के आस–पास चाय की थड़ी, गन्ने के रस की मशीनें या किसी अन्य प्रकार की अस्थाई थड़ी ठेला ना लगाया जाए।
3 बिजली के खंभों से या DP सब–स्टेशन के पाइपों से जानवरों, हाथ ठेले व रिक्शा को बांधकर ताले चाबी से बंद करने की व्यवस्था से बचें।
4 काश्तकार खेतो सें गुजरने वाली विद्युत लाईनों के नीचे चारा आदि किसी प्रकार के कृषि जनित उत्पादों का भण्डारन नही करें।
5 यात्रा के दौरान बस या वाहन की छत पर बैठ कर या खडे होकर यात्रा ना करें एवं किसी प्रकार की लोहे की वस्तुओं को वाहन की छत पर ना रखे।
6 काश्तकारों द्वारा फव्वारा पद्धति में प्रयुक्त होनें वाले पाईपों को खड़ी अवस्था में लाईनों के नीचे से ना ले जावें यदि आवश्यक हो तो पाईपों को पड़ी (लेटी) अवस्था में ही लाईनों के नीचे से ले जावें।

7 यदि आमजन के मकान/व्यवसाय क्षेत्र के बाहर पेड़ है जो कि विद्युत तंत्र के चालू लाईनों को छू रहे हो तो उन्हें कटवाने से पूर्व संबंधित विद्युत कार्यालय में सूचित कर पहले लाइन बंद करवाई जाए उसके पश्चात् विभागीय कर्मचारियों से ही उन्हें कटवाया जाए।

8 गांव में भी विद्युत ट्रांसफार्मर से किसी प्रकार की भी छेड़छाड़ व फेस स्प्लिटिंग का कार्य नहीं करें।

9 दीपावली एवं विशेष अवसरों पर विद्युत लाईनों के नीचे कोई भी आतिशबाजी (फायरवर्क्स) का प्रदर्शन ना किया जाए।

10 गांव/शहर में धार्मिक कार्यक्रम, जलसें, सामाजिक झांकियां व शोभायात्रा में प्रयुक्त वाहन एवं झंडों की ऊँचाई वहां के विद्युत तंत्र के नीचे सुरक्षित दूरी पर रखी जावें, शोभायात्रा के दौरान कोई भी झंडा या वस्तु हवा में लाइन की तरफ ना उछाले एवं शोभायात्रा में प्रयुक्त ट्रको या अन्य वाहन की ड्राइविंग केबिन के ऊपर खड़े नहीं रहें।

11 विद्युत तंत्र सब–स्टेशन DP या अन्य लाइन की केबल में यदि दुर्घटनावश आग लग जाए तो बिना लाइन बंद कराये उस पर पानी आदि नहीं डाला जावे सम्बद्ध विद्युत निगम कार्यालय को सूचित कर पहले लाइन बंद कराई जाए एवं फायर बिग्रेड को सूचना देवें, यदि बहुत आवश्यक हो तो आग बुझाने के लिए रेत का प्रयोग किया जाएं।

12 विद्युत दुघर्टना से ग्रस्त आमजन पशु आदि को बचाने के लिए उसे पकडने का प्रयास ना करें पहले विद्युत सप्लाई को बंद करावे तत्पश्चात ही दुर्घटना ग्रस्त आमजन या पशु को प्राथमिकता चिकित्सा प्रदान करें।

13 जानवरों को खेतो में आने से रोकने के लिए फेंसिंग/बारबेड वायरिंग में करंट प्रवाहित ना करें।

14 क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों को जोड़ने का कार्य ट्रांसफार्मर डीपी पर फ्यूज बांधने का कार्य स्वयं ना करके इसकी सूचना विभाग के टोल फ्री नम्बर 18001806045 पर दें।

15 निर्माणाधीन भूखंड के नजदीक से या ऊपर से विद्युत तंत्र गुजर रहा हो तो पहले विद्युत विभाग को प्रार्थना पत्र देकर सूचित करें लाइन शिफ्ट करवाने के पश्चात् निर्माण कार्य करवाया जाएं।

16 सामान्यता स्ट्रीट लाइट संधारण अधिक भार परिवहन एवं खुदाई आदि में प्रयुक्त केन व JCB का विद्युत तंत्र से सुरक्षित दूरी पर रखते हुए सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जावें।

17 बिजली के ट्रांसफार्मर की अर्थिंग से अपने निजी विद्युत उपकरणों की अर्थिंग को नहीं जोड़ा जाए।

18 विद्युत तंत्रों के समीप दुकानों के होल्डिंग व साइन बोर्ड एवं छतों के ऊपर लगे हुए शेड अन्य सामान जिनकी तेज आंधी तूफान में तंत्र पर गिरने की संभावना हो तो सिमेंट कंक्रीट से सुरक्षित रुप से स्थापित किया जाएं ।

19 केबल ऑपरेटर एवं प्राइवेट मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटर द्वारा विद्युत तंत्र के खंभो पर या विद्युत तंत्र नीचे से अनाधिकृत रुप से केबिल नही बिछाई जायें।

20 विद्युत तंत्र में स्थापित क्षतिग्रस्त स्टे वायर जो विद्युत तंत्र से सम्बद्ध है का किसी भी कार्य में रोक या सपोर्ट आदि के कार्य में प्रयोग नहीं किया जावे।

21 नवीन भूखंड में निर्माण कार्य करते समय या निर्माण कार्यों के विस्तार के समय विद्युत तंत्र से संबंधित स्टे वायर जो कि तंत्र को संतुलित रखे हुए हैं विभाग को बिना सूचित किए स्वयं नहीं हटावे।

22 पोल, स्टे वायर से गाय, भैंस, बकरी इत्यादि जानवर नहीं बांधे।

23 मकान से लाइन की पर्याप्त दूरी बनाये रखे। 11 केवी सप्लाई से 3.7 मीटर व 33 केवी सप्लाई से. 3.7 मीटर न्यूनतम क्षितिज दूरी आवश्यक रूप से रखें।

24 वर्तमान में स्थापित लाइन के नीचे स्थाई/अस्थाई निर्माण किसी सूरत में न करें। यह कृत्य दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

25 आंधी, बारिश, तूफान या अन्य दिनों में लाइन/तार गिरने पर उसे छुए नहीं और निकटतम विभाग कार्यालय में इसकी सूचना देकर विद्युत प्रवाह बंद करवायें। जिससे की जानमाल की हानि होने से बचा जा सकें।

26 विद्युत तंत्र से किसी भी तरह की हुकिंग/सीधा तार डालकर छेड़छाड़ न करे।

27 कोई भी उपभोक्ता स्वयं के स्तर पर भार वृद्धि नहीं करें। विभाग से पूर्व स्वीकृति लेकर विद्युत तंत्र को साध्य बनाने के बाद ही भार वृद्धि कराकर उपकरण जोड़े।

28 स्टे वायर व विद्युत पोलों से बच्चों को झुलने नहीं देवें।

29 यदि कोई व्यक्ति विद्युत के सम्पर्क में आ चुका है तो निम्न प्राथमिक उपचार करके उसकी जान बचाई जा सकती है।

(i) जैसे ही दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति जीवित वार उपकरण से छुटकारा पा जाए तुरन्त घायल के मुंह से अंगूली द्वारा निरक्षण कर नकली दांत, तम्बाकू आदि हो तो बाहर निकाले। मरीज की नब्ज चल रही है या नही यह सुनिश्चित करें तथा आवश्यक होने पर उसे कृत्रिम श्वसन प्रदान करें व ह्रदय की मालिश करें।

(ii) मरीज को खुली हवादार जगह में लिटा दें और यह निश्चित करें कि उसे किसी अन्य भाग में कोई चोट नहीं लगी है। विद्युत करंट लगे स्थान का निरीक्षण करें और जली हुई त्वचा पर एन्टीसेप्टिक मरहम लगाा दें और जख्म को ढक दें। मरीज को तत्काल अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करें।

उपरोक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावें। किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

(बी.एस. रतनु)
निदेशक (तकनीकी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. मुख्य/अति./उप मुख्य अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम,
2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
3. प्रावैधिक सहायक-प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी ( ), जोधपुर डिस्कॉम,
5. अधीक्षण अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम,
6. अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर को कम्पनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
7. अधिशाषी अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम,
8. उप निदेशक कार्मिक/कार्मिक अधिकारी ( ), जोधपुर डिस्कॉम,
9. वरि. लेखाधिकारी/लेखाधिकारी ( ), जोधपुर डिस्कॉम,
10. सहायक अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम, को यह निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रति सभी कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों को उपलब्ध कर मौखिक रुप से भी समझायें।
11. जन सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
12. निजी सहायक-प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (वित्त)/निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

निदेशक (तकनीकी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर